प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः-एस.पी.एम.यू. / एम.आई.एस. / एच.एम.आई.एस. / आफि.लेटर / 70-8 / 2020-21 / 50059 दिनांकः 23-11-2020

विषयः- भारत सरकार द्वारा संचालित नवीन एच0एम0आई0एस0, आर0सी0एच0 पोर्टल एवं अनमोल ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य इकाइयों, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं लाभार्थी संबंधी सूचनाओं को गुणवत्ता, पूर्णता एवं समयबद्धता के अनुसार प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत ही हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित नवीन एच0एम0आई0एस0 पोर्टल, आर0सी0एच0 पोर्टल एवं आर0सी0एच0 पोर्टल से सम्बद्ध अनमोल ऐप के माध्यम से क्रमशः प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध स्थापना, प्राप्त करायी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना वार्षिक एवं मासिक अन्तराल पर एवं लाभार्थी यथा गर्भवती महिला, शिशु को प्राप्त करायी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना नियमित रूप से अद्यतन की जाती है। राज्य स्तर से उपरोक्त पोर्टलों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी प्रेषित सूचनाओं का उपयोग प्रधानमंत्री डैशबोर्ड, स्वास्थ्य मंत्रालय डैशबोर्ड, नीति आयोग आधारित रैंकिंग एवं ग्रेडिंग, एन0एच0एम0 हेतु कन्डिशनैलिटीज़ लक्ष्यों के प्राप्ति की समीक्षा, एस0डी0जी0 लक्ष्यों के प्राप्ति की समीक्षा, महत्वाकांक्षी जनपद में प्रगति की समीक्षा, स्टेट हेल्थ इन्डेक्स एवं एन0एच0एम के अन्तर्गत कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर समीक्षा हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त पोर्टल की सूचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति परिलक्षित होती है। अतः स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टलों के माध्यम से गुणवत्तापरक एवं पूर्ण सूचनाएं ससमय प्रेषित किये जाने हेतु पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का निम्नानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है-

नवीन एच0एम0आई0एस0 पोर्टलः-

पोर्टल पर प्रदेश की समस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को उनकी विस्तृत सूचना के साथ जीओ' कोऑर्डिनेट (लैटिट्यूड, लौंगिट्यूड) एवं इकाई के प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी की सूचनाओं को अद्यतन कर उनका डाटा रिपोर्टिंग एकाउन्ट सक्रिय करने हेतु पंजीकृत किया गया है।

पोर्टल के माध्यम से जनपद की समस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध स्थापना की सूचना एवं उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रत्येक माह की सूचनाओं को आगामी माह की 05 तारिख तक अंतिम रूप से अद्यतन किया जाना है। इस कार्य हेतु जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई पर उपलब्ध एच0एम0आई0एस0 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को प्राथमिक रूप से उपयोगित किया जाये।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पोर्टल से सम्बद्ध मोबाइल ऐप क्रियाशील की गयी है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों पर ओ0पी0डी0 के अनुसार दैनिक डाटा इन्ट्री भी की जा रही है।

आर0सी0एच0 पोर्टलः-

आर0सी0एच0 पोर्टल के द्वारा अरबन पी0एच0सी0 एवं सबसेन्टर स्वास्थ्य इकाई की सम्बद्ध ए0एन0एम0 से आच्छादित जनसंख्या में योग्य दम्पत्ति, गर्भवती महिला एवं बच्चों को लाभार्थियों के रूप में उपलब्ध करायी जा रही प्रत्येक चिकित्सकीय सुविधा की सूचना लाभार्थी के अनुसार अरबन स्वास्थ्य इकाई, ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाई अथवा जनपदीय चिकित्सालय स्तर पर स्थापित डाटा इन्ट्री प्वान्इट से नियमित रूप से अद्यतन की जाती है।

लाभार्थीवार स्वास्थ्य सुविधाओं के नियोजन एवं प्राप्ति के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु पोर्टल की सूचनाओं का उपयोग किया जाता है, जिसके क्रम मे भारत सरकार द्वारा आर0सी0एच0 पोर्टल पर न्यूनतम 85 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके कम में उल्लेखनीय है कि इस कार्य हेतु ब्लॉक चिकित्सा इकाइयों पर उपलब्ध डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को प्राथमिक रूप से उपयोगित किया जाये।

अनमोल ऐप–

आर0सी0एच0 पोर्टल पर लाभार्थी से सम्बन्धित स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना अरबन स्वास्थ्य इकाई, ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाई अथवा जनपदीय चिकित्सालय स्तर पर स्थापित डाटा इन्ट्री प्वान्इट से अद्यतन की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्रियाशील, पोर्टल से सम्बद्ध मोबाइल ऐप–अनमोल ऐप के माध्यम से ए0एन0एम0 द्वारा ही उसके कैचमेण्ट ऐरिया के लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना सीधे आर0सी0एच0 पोर्टल पर प्रेषित की जा सकती है। ए0एन0एम0 द्वारा अनमोल ऐप के माध्यम से सूचना सीधे अद्यतन किये जाने की प्रकिया से डाटा इन्ट्री प्वान्इट द्वारा डाटा अद्यतन किये जाने मे लगने वाले समय की बचत होगी एवं ए0एन0एम0 उपलब्ध अद्यतन सूचना के आधार पर ए0एन0सी0 एवं टीकाकरण आदि कार्यों हेतु बेहतर योजना बना सकेगी।

मोबाइल एकेडमी–

मोबाइल एकेडमी आशाओं हेतु एक स्वतंत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, जिसके माध्यम से आशाओं द्वारा आर0सी0एच0 पोर्टल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर गर्भवती महिलाओं एवं शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर कौशल वृद्धि की जाती है। उक्त प्रशिक्षण के अर्न्तगत गर्भवती महिलाओं के गर्भवस्था के दौरान एवं एक वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण आदि की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। मोबाइल एकेडमी प्रशिक्षण लागू किये जाने हेतु आशाओं को आर0सी0एच0 पोर्टल पर अपना सही मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराया जाना आवश्यक है, साथ ही साथ आशाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने का नियमित अनुश्रवण मण्डल एवं जनपद स्तर से किया जाना है।

किलकारी–

किलकारी कार्यक्रम आर0सी0एच0 पोर्टल से सम्बद्ध कार्यक्रम है, जिसके अर्न्तगत आर0सी0एच0 पोर्टल पर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान एवं एक वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं यथा मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन आदि की पूर्व रिकार्डेड सूचनाओं का संप्रेषण मोबाइल के माध्यम से सरल भाषा में लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम द्वारा अधिकतम लाभार्थियों को सही सूचनाओं का लाभ प्रदान करने के लिये आर0सी0एच0 पोर्टल पर लाभार्थी पंजीकरण के समय सही मोबाइल (10 अंको का) नम्बर एवं एल0एम0पी0 का अंकन आवश्यक रूप से किया जाना है। इस हेतु कार्यकम की उपलब्धियों का नियमित अनुश्रवण मण्डल एवं जनपद स्तर से किया जाना है।

आंकड़ों की गुणवत्ता एवं मूल्यांकन हेतु प्रेषण से पूर्व समस्त जनपदीय चिकित्सालयों पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका एवं ब्लॉक स्तर पर चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की अध्यक्षता में वैलिडेशन कमेटी द्वारा आंकड़ों को वैलिडेट किया जाता है।

जनपद, जनपदीय चिकित्सालय एवं ब्लॉक स्तर पर वैलिडेशन समिति का गठन निम्नलिखित सदस्य संरचना अनुसार है–

1. जनपद स्तर पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर0सी0एच0) की अध्यक्षता में पोर्टलों के डाटा की गुणवत्ता एवं पूर्णता के लिए वैलिडेशन समिति का गठन निम्न सदस्यों के अनुसार किया जायेगा।
   - अ) जनपदीय प्रतिरक्षण अधिकारी
   - ब) जनपदीय ए0आर0ओ0
   - स) जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0
   - द) जनपदीय डाटा प्रबन्धक, एन0एच0एम0
   - य) एच0एम0आई0एस0 ऑपरेटर
   - र) ब्लाक से एक प्रतिनिधि (एम0सी0टी0एस0 आपरेटर को छोड़कर) विशेष रूप से बी0पी0एम0 अथवा ए0आर0ओ0
   - ल) जनपद में समस्त ज़िला चिकित्सालयों से एक प्रतिनिधि, विशेष रूप से चिकित्सालय प्रबन्धक।

2. जनपद स्तर पर जिला चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की अध्यक्षता में पोर्टलों के डाटा की गुणवत्ता एवं पूर्णता के लिए वैलिडेशन समिति का गठन निम्न सदस्यों के अनुसार किया जायेगा।

अ) प्रतिरक्षण अधिकारी, जिला चिकित्सालय

ब) जनपदीय सहायक शोध अधिकारी

स) जनपदीय डाटा प्रबन्धक, एन0एच0एम0

द) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा नामित विभिन्न अनुभाग अधिकारी जो कि एच0एम0आई0एस0 प्रपत्र को पूर्णतः भरने एवं डाटा गुणवत्ता में सहयोग करेंगे।

3. विकास खण्ड स्तर पर एच0एम0आई0एस0 डाटा गुणवत्ता के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में वेलिडेशन समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे–

अ) ए0आर0ओ0

ब) एच0ई0ओ0

स) बी0पी0एम0, एन0एच0एम0

द) एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर, एन0एच0एम0

डाटा वेलिडेशन समिति के कार्य–

- डाटा वेलिडेशन समिति के मुख्य कार्यों में पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ण सूचनाओं का संकलन एवं संकलित आंकड़ों/सूचनाओं की समीक्षा कर गुणवत्तापरक आंकड़ों/सूचनाओं को ससमय पोर्टलों पर अद्यतन किया जाना है। समिति द्वारा आंकड़ों/सूचनाओं की समीक्षा के आधार पर सूचनाओं के संकलन की प्रकिया को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निर्देश भी दिये जायेगें।
- बैठक में नवीन एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टलों पर आंकड़ों के ससमय अपलोडिंग/अंकन की स्थिति की समीक्षा की जायेगी।
- ब्लॉकवार एवं जनपद स्तर पर एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टलों पर आंकड़ों की समरूपता की समीक्षा की जायेगी।
- स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा रिपोर्ट किये गये आंकड़ों के आधार पर सूचकांकों के सापेक्ष रिक्त रिपोर्टिंग तथा शून्य रिपोर्टिंग के डाटा तत्वों की समीक्षा की जायेगी।
- प्रत्येक वैलीडेशन बैठक में स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा गत छः माह में रिपोर्ट किये गये आंकड़ों का आउटलायर के आधार पर विशलेषण किया जायेगा।
- आर0सी0एच0 पोर्टल पर विलेज प्रोफाइल, लक्ष्य दंपति, गर्भवती महिला एवं बाल पंजीकरण स्थिति की ब्लॉकवार समीक्षा की जायेगी। लक्ष्य के सापेक्ष कम पंजीकरण वाले ब्लॉक एवं सम्बन्धित इकाईयों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जायेगा।
- आर0सी0एच0 पोर्टल के माध्यम से वर्क प्लान जनरेशन एवं उपब्धता की समीक्षा की जायेगी।
- समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जनपदीय चिकित्सालय रैंकिंग/सी0एच0सी0–पी0एच0सी0 ग्रेडिंग हेतु दिशा निर्देशों के आधार पर भी आंकड़ों/सूचनाओं की समीक्षा/विश्लेषण किया जायेगा तथा व्याप्त कमियों/त्रुटियों को दूर किया जायेगा।

उपरोक्त कार्यों को नियमित एवं ससमय पूर्ण किये जाने हेतु शासनादेश सं0 601 पांच–9–2015–9(127)/2012 टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल 2015 एवं एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/2015–16/70/2962 दिनांक 04/08/2015 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। विभिन्न पोर्टलों/ऐप पर परिलक्षित उपलब्धियों को उनके निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष जनपदवार/ब्लॉकवार विश्लेषण के अनुसार समीक्षा, अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मासिक/अन्य समीक्षा बैठकों में की जायेगी। साथ ही जनपद मुख्यालय एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाई पर उक्त हेतु उपलब्ध डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा पोर्टल पर डाटा इन्ट्री की उपलब्धियों की प्राप्ति का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने मण्डल/जनपद में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियाशील पोर्टल/ऐप का संचालन निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

भवदीय,

21.11.20

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

पत्र संख्याः–एस.पी.एम.यू./एम.आई.एस./एच.एम.आई.एस./आफि. लेटर/70–8/2020–21/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जनपदीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः—एस.पी.एम.यू./एम.आई.एस./एच.एम.आई.एस./आफि.लेटर/70—8/2020—21/ दिनांकः 23-11-2020

विषयः— भारत सरकार द्वारा संचालित नवीन एच0एम0आई0एस0, आर0सी0एच0 पोर्टल एवं अनमोल ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य इकाइयों, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं लाभार्थी संबंधी सूचनाओं को गुणवत्ता, पूर्णता एवं समयबद्धता के अनुसार प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित नवीन एच0एम0आई0एस0 पोर्टल, आर0सी0एच0 पोर्टल एवं आर0सी0एच0 पोर्टल से सम्बद्ध अनमोल ऐप के माध्यम से क्रमशः प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध स्थापना, प्राप्त करायी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना वार्षिक एवं मासिक अन्तराल पर एवं लाभार्थी यथा गर्भवती महिला, शिशु को प्राप्त करायी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना नियमित रूप से अद्यतन की जाती है। राज्य स्तर से उपरोक्त पोर्टलों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी प्रेषित सूचनाओं का उपयोग प्रधानमंत्री डैशबोर्ड, स्वास्थ्य मंत्रालय डैशबोर्ड, नीति आयोग आधारित रैंकिंग एवं ग्रेडिंग, एन0एच0एम0 हेतु कन्डिशनैलिटीज़ लक्ष्यों के प्राप्ति की समीक्षा, एस0डी0जी0 लक्ष्यों के प्राप्ति की समीक्षा, महत्वाकांक्षी जनपद में प्रगति की समीक्षा, स्टेट हेल्थ इन्डेक्स एवं एन0एच0एम के अन्तर्गत कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर समीक्षा हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त पोर्टल की सूचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति परिलक्षित होती है। अतः स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टलों के माध्यम से गुणवत्तापरक एवं पूर्ण सूचनाएं ससमय प्रेषित किये जाने हेतु पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का निम्नानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है—

नवीन एच0एम0आई0एस0 पोर्टलः—

पोर्टल पर प्रदेश की समस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को उनकी विस्तृत सूचना के साथ जीओ' कोऑर्डिनेट (लैटिट्यूड, लौंगिट्यूड) एवं इकाई के प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी की सूचनाओं को अद्यतन कर उनका डाटा रिपोर्टिंग एकाउन्ट सक्रिय करने हेतु पंजीकृत किया गया है।

पोर्टल के माध्यम से जनपद की समस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध स्थापना की सूचना एवं उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रत्येक माह की सूचनाओं को आगामी माह की 05 तारिख तक अंतिम रूप से अद्यतन किया जाना है। इस कार्य हेतु जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई पर उपलब्ध एच0एम0आई0एस0 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को प्राथमिक रूप से उपयोगित किया जाये।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पोर्टल से सम्बद्ध मोबाइल ऐप क्रियाशील की गयी है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों पर ओ0पी0डी0 के अनुसार दैनिक डाटा इन्ट्री भी की जा रही है।

आर0सी0एच0 पोर्टलः—

आर0सी0एच0 पोर्टल के द्वारा अरबन पी0एच0सी0 एवं सबसेन्टर स्वास्थ्य इकाई की सम्बद्ध ए0एन0एम0 से आछादित जनसंख्या में योग्य दम्पत्ति, गर्भवती महिला एवं बच्चों को लाभार्थियों के रूप में उपलब्ध करायी जा रही प्रत्येक चिकित्सकीय सुविधा की सूचना लाभार्थी के अनुसार अरबन स्वास्थ्य इकाई, ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाई अथवा जनपदीय चिकित्सालय स्तर पर स्थापित डाटा इन्ट्री प्वान्इट से नियमित रूप से अद्यतन की जाती है।

लाभार्थीवार स्वास्थ्य सुविधाओं के नियोजन एवं प्राप्ति के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु पोर्टल की सूचनाओं का उपयोग किया जाता है, जिसके क्रम मे भारत सरकार द्वारा आर0सी0एच0 पोर्टल पर न्यूनतम 85 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके क्रम में उल्लेखनीय है कि इस कार्य हेतु ब्लॉक चिकित्सा इकाइयों पर उपलब्ध डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को प्राथमिक रूप से उपयोगित किया जाये।

अनमोल ऐप–

आर0सी0एच0 पोर्टल पर लाभार्थी से सम्बन्धित स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना अरबन स्वास्थ्य इकाई, ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाई अथवा जनपदीय चिकित्सालय स्तर पर स्थापित डाटा इन्ट्री प्वान्इट से अद्यतन की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्रियाशील, पोर्टल से सम्बद्ध मोबाइल ऐप–अनमोल ऐप के माध्यम से ए0एन0एम0 द्वारा ही उसके कैचमेण्ट ऐरिया के लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना सीधे आर0सी0एच0 पोर्टल पर प्रेषित की जा सकती है। ए0एन0एम0 द्वारा अनमोल ऐप के माध्यम से सूचना सीधे अद्यतन किये जाने की प्रक्रिया से डाटा इन्ट्री प्वान्इट द्वारा डाटा अद्यतन किये जाने मे लगने वाले समय की बचत होगी एवं ए0एन0एम0 उपलब्ध अद्यतन सूचना के आधार पर ए0एन0सी0 एवं टीकाकरण आदि कार्यों हेतु बेहतर योजना बना सकेगी।

मोबाइल एकेडमी–

मोबाइल एकेडमी आशाओं हेतु एक स्वतंत्र प्रशिक्षण पाठयक्रम है, जिसके माध्यम से आशाओं द्वारा आर0सी0एच0 पोर्टल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर गर्भवती महिलाओं एवं शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर कौशल वृद्धि की जाती है। उक्त प्रशिक्षण के अर्न्तगत गर्भवती महिलाओं के गर्भवस्था के दौरान एवं एक वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण आदि की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। मोबाइल एकेडमी प्रशिक्षण लागू किये जाने हेतु आशाओं को आर0सी0एच0 पोर्टल पर अपना सही मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराया जाना आवश्यक है, साथ ही साथ आशाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने का नियमित अनुश्रवण मण्डल एवं जनपद स्तर से किया जाना है।

किलकारी–

किलकारी कार्यक्रम आर0सी0एच0 पोर्टल से सम्बद्ध कार्यक्रम है, जिसके अर्न्तगत आर0सी0एच0 पोर्टल पर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान एवं एक वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं यथा मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन आदि की पूर्व रिकार्डेड सूचनाओं का संप्रेषण मोबाइल के माध्यम से सरल भाषा में लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम द्वारा अधिकतम लाभार्थियों को सही सूचनाओं का लाभ प्रदान करने के लिये आर0सी0एच0 पोर्टल पर लाभार्थी पंजीकरण के समय सही मोबाइल (10 अंको का) नम्बर एवं एल0एम0पी0 का अंकन आवश्यक रूप से किया जाना है। इस हेतु कार्यक्रम की उपलब्धियों का नियमित अनुश्रवण मण्डल एवं जनपद स्तर से किया जाना है।

आंकड़ों की गुणवत्ता एवं मूल्यांकन हेतु प्रेषण से पूर्व समस्त जनपदीय चिकित्सालयों पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका एवं ब्लॉक स्तर पर चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की अध्यक्षता में वैलिडेशन कमेटी द्वारा आंकड़ों को वैलिडेट किया जाता है।

जनपद, जनपदीय चिकित्सालय एवं ब्लॉक स्तर पर वैलिडेशन समिति का गठन निम्नलिखित सदस्य संरचना अनुसार है–

1. जनपद स्तर पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर0सी0एच0) की अध्यक्षता में पोर्टलों के डाटा की गुणवत्ता एवं पूर्णता के लिए वैलिडेशन समिति का गठन निम्न सदस्यों के अनुसार किया जायेगा।
   - अ) जनपदीय प्रतिरक्षण अधिकारी
   - ब) जनपदीय ए0आर0ओ0
   - स) जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0
   - द) जनपदीय डाटा प्रबन्धक, एन0एच0एम0
   - य) एच0एम0आई0एस0 ऑपरेटर
   - र) ब्लाक से एक प्रतिनिधि (एम0सी0टी0एस0 आपरेटर को छोड़कर) विशेष रूप से बी0पी0एम0 अथवा ए0आर0ओ0
   - ल) जनपद में समस्त ज़िला चिकित्सालयों से एक प्रतिनिधि, विशेष रूप से चिकित्सालय प्रबन्धक।

2. जनपद स्तर पर जिला चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की अध्यक्षता में पोर्टलों के डाटा की गुणवत्ता एवं पूर्णता के लिए वैलिडेशन समिति का गठन निम्न सदस्यों के अनुसार किया जायेगा।

अ) प्रतिरक्षण अधिकारी, जिला चिकित्सालय

ब) जनपदीय सहायक शोध अधिकारी

स) जनपदीय डाटा प्रबन्धक, एन0एच0एम0

द) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा नामित विभिन्न अनुभाग अधिकारी जो कि एच0एम0आई0एस0 प्रपत्र को पूर्णतः भरने एवं डाटा गुणवत्ता में सहयोग करेंगे।

3. विकास खण्ड स्तर पर एच0एम0आई0एस0 डाटा गुणवत्ता के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में वेलिडेशन समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे–

अ) ए0आर0ओ0

ब) एच0ई0ओ0

स) बी0पी0एम0, एन0एच0एम0

द) एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर, एन0एच0एम0

<u>डाटा वेलिडेशन समिति के कार्य–</u>

- डाटा वेलिडेशन समिति के मुख्य कार्यों में पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ण सूचनाओं का संकलन एवं संकलित आंकड़ों/सूचनाओं की समीक्षा कर गुणवत्तापरक आंकड़ों/सूचनाओं को ससमय पोर्टलों पर अद्यतन किया जाना है। समिति द्वारा आंकड़ों/सूचनाओं की समीक्षा के आधार पर सूचनाओं के संकलन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निर्देश भी दिये जायेगें।
- बैठक में नवीन एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टलों पर आंकड़ों के ससमय अपलोडिंग/अंकन की स्थिति की समीक्षा की जायेगी।
- ब्लॉकवार एवं जनपद स्तर पर एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टलों पर आंकड़ों की समरूपता की समीक्षा की जायेगी।
- स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा रिपोर्ट किये गये आंकड़ों के आधार पर सूचकांकों के सापेक्ष रिक्त रिपोर्टिंग तथा शून्य रिपोर्टिंग के डाटा तत्वों की समीक्षा की जायेगी।
- प्रत्येक वैलीडेशन बैठक में स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा गत छः माह में रिपोर्ट किये गये आंकड़ों का आउटलायर के आधार पर विशलेषण किया जायेगा।
- आर0सी0एच0 पोर्टल पर विलेज प्रोफाइल, लक्ष्य दंपति, गर्भवती महिला एवं बाल पंजीकरण स्थिति की ब्लॉकवार समीक्षा की जायेगी। लक्ष्य के सापेक्ष कम पंजीकरण वाले ब्लॉक एवं सम्बन्धित इकाईयों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जायेगा।
- आर0सी0एच0 पोर्टल के माध्यम से वर्क प्लान जनरेशन एवं उपब्धता की समीक्षा की जायेगी।
- समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जनपदीय चिकित्सालय रैंकिंग/सी0एच0सी0–पी0एच0सी0 ग्रेडिंग हेतु दिशा निर्देशों के आधार पर भी आंकड़ों/सूचनाओं की समीक्षा/विश्लेषण किया जायेगा तथा व्याप्त कमियों/त्रुटियों को दूर किया जायेगा।

उपरोक्त कार्यों को नियमित एवं ससमय पूर्ण किये जाने हेतु शासनादेश सं0 601 पांच–9–2015–9(127)/2012 टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल 2015 एवं एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/2015–16/70/2962 दिनांक 04/08/2015 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। विभिन्न पोर्टलों/ऐप पर परिलक्षित उपलब्धियों को उनके निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष जनपदवार/ब्लॉकवार विश्लेषण के अनुसार समीक्षा, अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मासिक/अन्य समीक्षा बैठकों में की जायेगी। साथ ही जनपद मुख्यालय एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाई पर उक्त हेतु उपलब्ध डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा पोर्टल पर डाटा इन्ट्री की उपलब्धियों की प्राप्ति का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने मण्डल/जनपद में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियाशील पोर्टल/ऐप का संचालन निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

पत्र संख्याः-एस.पी.एम.यू./एम.आई.एस./एच.एम.आई.एस./आफि. लेटर/70-8/2020-21/5005-2(9) तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जनपदीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक